कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिला– राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक / 880 / मनरेगा / स्था. / जि.प. / 2017–18   राजनांदगांव, दिनांक 16 / 06 / 2017

छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक / 439 / पंग्राविवि / 22 / 2017 रायपुर दिनांक 01.02.2017 के निर्देशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत **समन्वयक (शिकायत निवारण)** के पद पर निम्नलिखित उम्मीदवार की संविदा नियुक्ति जिला पंचायत राजनांदगांव में निम्न शर्तो के अधीन किया जाता है। इनके पारिश्रमिक पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आकस्मिक मद से किया जावेगा।

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6
1	श्री सौरभ श्रीवास्तव	श्री शिवकुमार श्रीवास्तव	01 उदय नगर कॉलोनी, जिला–कांकेर (छ.ग.)	अनारक्षित	जिला पचांयत राजनांदगांव

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति हेतु आरक्षण नियम का पालन किया गया है।

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा पर 29400 /– रूपये प्रतिमाह एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी।
2. संविदा नियुक्ति 28.02.2018 तक के लिए होगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढाई जावेगी।
3. यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थाई है।
4. संविदा अवधि में 18 दिनों के अनुपातिक रूप से आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों के ऐच्छिक अवकास की पात्रता होगी।
5. संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 से शासित होंगे।
6. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
7. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा शासकीय सेवक के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु–लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
8. संविदा नियुक्त कर्मचारी का गोपनीय प्रतिवेदन लिखा जायेगा ताकि यदि आगामी वर्ष हेतु पुनः नियुक्ति दी जानी हो तो इसके आधार पर-कार्य का मूल्यांकन हो सके।

9. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते है तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।

10. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कं/एफ–9–1/2012/1–3, रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम–2012 के अधीन होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पचांयत राजनांदगांव

पृ.कमांक/981/मनरेगा/स्था./जि.प./2017–18 राजनांदगांव, दिनांक 16/06/2017

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय छ.ग.शासन रायपुर।
2. विकास आयुक्त, छ.ग. विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर।
3. आयुक्त, रोजगार गारंटी प्रकोष्ठ, विकास आयुक्त कार्यालय रायपुर।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग।
5. मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मेकाहारा जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं शारीरिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने बाबत्।
6. संबंधित उम्मीदवार। आप कृपया दिनांक 20/06/2017 तक अपनी उपस्थिति रिपोर्ट मय समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अंकसूचियों तथा स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र के साथ *जिला पंचायत राजनांदगांव* में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर नियुक्ति स्वयमेव समाप्त माना जावेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पचांयत राजनांदगांव